न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : – श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 40/2023

वादीगण

01. सोनाराम पुत्र रामूराम उम्र 85 वर्ष
02. लालाराम पुत्र रामूराम फौत के कायम मुकाम
    2/1.आसुराम पुत्र लालाराम उम्र 55 वर्ष
    2/2.राजुराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष
    2/3.लाधुराम पुत्र लालाराम उम्र 40 वर्ष
    2/4.हीरो देवी पत्नि लालाराम उम्र 75 वर्ष
03. भारताराम पुत्र रामूराम उम्र 80 वर्ष
04. ओम प्रकाश पुत्र शेराराम उम्र 45 वर्ष
05. पांचाराम पुत्र शेराराम उम्र 40 वर्ष
06. मंगलाराम पुत्र रामूराम उम्र 70 वर्ष
07. भाखरा राम पुत्र रामूराम उम्र 66 वर्ष
08. बींजाराम पुत्र रामूराम उम्र 58 वर्ष
09. जगराम पुत्र धनाराम उम्र 58 वर्ष
10. पेमाराम पुत्र धनाराम उम्र 52 वर्ष
11. गोपालराम पुत्र धनाराम उम्र 48 वर्ष
12. नरसींगाराम पुत्र रतनाराम उम्र 64 वर्ष
13. प्रभूराम पुत्र रतनाराम उम्र 64 वर्ष
14. किसनाराम पुत्र उदाराम उम्र 55 वर्ष
15. हीराराम पुत्र उदाराम उम्र 50 वर्ष
16. नारणाराम पुत्र उदाराम उम्र 45 वर्ष
17. भजनलाल पुत्र उदाराम उम्र 42 वर्ष
18. सुखराम पुत्र खुमाराम उम्र 65 वर्ष
19. भारमलराम पुत्र खुमाराम उम्र 60 वर्ष
20. सदराम पुत्र कानाराम उम्र 75 वर्ष
21. सुखराम पुत्र कानाराम फोत के का. मु.
    21/1. आसुराम पुत्र सुखराम
22. ठाकराराम पुत्र भेरा राम उम्र 60 वर्ष
23. मंगलाराम पुत्र भेराराम उम्र 53 वर्ष
24. शेराराम पुत्र भेराराम उम्र 50 वर्ष
25. किसनारम पुत्र भेराराम उम्र 45 वर्ष
26. धोकलाराम पुत्र भेराराम उम्र 42 वर्ष
27. गोगाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 50 वर्ष
28. मोहन पुत्र अर्जुनराम उम्र 45 वर्ष
29. जेठाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 38 वर्ष
30. मदाराम पुत्र ईशराराम उम्र 85 वर्ष
31. तेजाराम पुत्र ईशराराम उम्र 85 वर्ष
32. गोकलाराम पुत्र सांवताराम उम्र 75 वर्ष
33. राणाराम पुत्र जगराम उम्र 35 वर्ष
34. सत्यपाल पुत्र जगराम उम्र 30 वर्ष
35. गणपत पुत्र हरचन्द राम उम्र 37 वर्ष
36. रमेश कुमार पुत्र हरचन्द राम उम्र 33 वर्ष
37. घुड़ाराम पुत्र वागाराम उम्र 50 वर्ष
38. विरधाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 72 वर्ष
39. रामलाल पुत्र भगवानाराम उम्र 55 वर्ष

बनाम

प्रतिवादीगण

01. पीराराम पुत्र धनाराम उम्र 50 वर्ष
02. पुनमाराम पुत्र तुलछाराम
03. रामचन्द पुत्र तुलछाराम
04. भाखरराम पुत्र तुलछाराम
05. सोनाराम पुत्र तुलछाराम
06. सीणगारी पुत्री तुलछाराम
07. हीरा पुत्री तुलछाराम
08. शान्ती पुत्री तुलछाराम
09. जीयो पुत्री तुलछाराम
10. श्रीराम पुत्र धर्माराम
11. राजूराम पुत्र धर्माराम
12. हीराराम पुत्र धर्माराम
13. एलची पुत्री धर्माराम
14. मोहनी पुत्री धर्माराम
15. पुनी पत्नी धर्माराम उम्र 70 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
16. तहसीलदार धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

केसरीमल पुत्र भगवानाराम उम्र 50 वर्ष जाति
विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील
धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू: 17.04.2024

अधिवक्ता :—

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी सं.01 से 15 एकतरफा
3. पेरोकार सरकार

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 03.09.2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया हम हिन्दू विधि से शासीत है तथा मुतवफी मुकना के वारीश है तथा मुकना के तीन पुत्र है हुकमाराम, खींयाराम, पनाराम तीनो वारीसों का वक्त सेटलमेंट खेत ग्राम धोरीमन्ना मे आया हुआ था। कि प्रतिवादीगण हमारे पाड़ोसी है जो रूघाराम पुत्र गिरधारी के वारीस है रूघा के दो पुत्र धना जिनका वारीस प्रतिवादी संख्या 01 व तुलछाराम जिनके वारीस प्रतिवादी संख्या 02 से 15 है। कि हमारा खेत खसरा संख्या 410, 415, 465, 464, 468 में जागीर काल से कब्जा काश्त चला आ रहा है विक्रम संवत 2011—2012 में भुप्रबंधन विभाग द्वारा सेटलमेन्ट शुरू किया गया। पटवार हल्का धोरीमन्ना के सेटलमेन्ट अधिकारी यानि अमीन जो नक्शा व नाप का काम कर रहे थे आलसी व शराबी प्रवृति के थे तथा पुरा दिन आराम करके दोपहर को 2 घण्टे में पुरे दिन का काम करने की कोशिश करते जिस कारण नाप में भारी त्रुटीया रही है। कि भुप्रबधन अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 410, 415, 465 नापने के बाद जब खसरा संख्या 464 व 468 नापा तथा इन खसरो को पार करके खसरा संख्या 467 में गये तथा पुछा की यह खसरा किसका है यानि नाप किया वो जबकि वादी के पुर्वज खुमा ने सोचा जिस खसरे में प्रवेश किया उसका पुछ रहे है तो रूघा पुत्र गिरधारी का होना बता दिया तो हमारे खसरा संख्या 464 व 468 हमारी जगह रूघा पुत्र गिरधारी का होना बता दिया तो हमारे खसरा संख्या 464 व 468 हम की जगह रूघा पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज किये तथा अनपढ़ता के कारण न तो हुकमा, खुमा, काना, अर्जुन, भगवाना को पता चला और न ही प्रतिवादीगण पूर्वज रूघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

व उनके पुत्र रायचन्द के पुत्र धना व तुलछा को भी जानकारी नही हो सकी तथा बिना कब्जे स्वामित्व के हमारे पु[illegible] की भूमि प्रतिवादीगण के पुर्वज मुतवफी रूघा के नाम दर्ज हो गई। सेटलमेंट [illegible] कब्जा रहा जो आज दिन तक अनवरत चला आ [illegible] का स्वामित्व हमारा है तथा कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा [illegible] नही रहा। इस प्रकार उक्त आराजी का मालिकाना टाइटल केवल मात्र तथ्य की भूल से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से खातेदारी घोशणा हमारे पक्ष में करना न्यायोचित है। कि हमारे जागीरकाल के कब्जा काश्त व स्वामित्व के खेत खसरा संख्या 464 रकबा 52–02 बीघा व खसरा संख्या 468 रकबा 31–08 बीघा की भूमि सेटलमेन्ट में तथ्य की भूल के कारण रूधा पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज हो गई जबकि जागीरदार काल से आज दिन तक यह भूमि हमारे नाम अनवरत व शान्ती पुर्ण कब्जा रहा परन्तु अमीन के समझने की भूल के कारण रूघा के नाम दर्ज हो गई वैसे उक्त भूमि में कब्जे को लेकर कभी भी विवाद नही रहा परन्तु नाम प्रतिवादीगण का होने से धना व तुलछा ने अपने जीवन काल में हमारे नाम करवाने का आश्वासन देते रहे परन्तु दो माह पुर्व तुलछाराम के फोत हो जाने से उनके वारीसो ने अपने नाम होने का बेजा फायदा उठा कर बैचने की धमकी देने लगे इसलिए इसे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। वर्तमान जमाबन्दी साथ सलग्न पेश है। कि विवादग्रस्त आराजी वक्त जागीर से हमारे कब्जा काश्त में थी तथा वक्त सेटलमेंट भी हमारे पुर्वजो ने नाप करवाकर सेटलमेंट करवाया तथा सेटलमेंट अधिकारी से आपसी सामजस्य नही होने के कारण हमारे पुर्वजो ने रूघा पुत्र गिरधारी के नाम उपरोक्त वर्णित अनुसार त्रुटी पुर्ण तरिके से खसरा संख्या 467 के साथ दर्ज की जिसकी जानकारी हमारे पुर्वज व रूधा पुत्र गिरधारी को उसी समय हो गई तथा रूघा ने हमारे पक्ष में बयान कर उक्त दोनो खसरे हमारे नाम करवाने का आश्वासन दिया परन्तु दुर्भाग्य पुर्ण रूघाराम फौत हो गये तत्पश्चात उक्त आराजी रायचन्द के पुत्र व रूघाराम के पौत्र धनाराम के नाम दर्ज हो गयी तथा धनाराम के साथ उनके चाचा तुलछाराम के नाम दर्ज हुई परन्तु इन दोनो को अपने पिता रूघाराम द्वारा उक्त आराजी उसके वास्तविक स्वामी के नाम करवाने के वचन की जानकारी होने से इन्होने भी उक्त भूमि हमारे नाम करने हेतु तैयार थे इस प्रकार प्रतिवादीगण भी उक्त भूमि को हमारे पुर्वजो के नाम करवाना चाहते थे परन्तु कभी हमारे पुर्वज व कभी प्रतिवादीगण के पुर्वज एक एक करके फौत होने से उक्त आराजी का हस्तानान्तरण नही हो पाया जबकि उक्त भूमि का स्वामित्व प्रतिवादीगण के नाम होने का प्रतिवादीगण को लम्बे समय से जानकारी थी तथा उनको यह भी जानकारी थी कि उपरोक्त आराजी हमारे कब्जा काश्त की है इस प्रकार प्रतिकुल कब्जा के सिद्धान्त अनुसार हमारा कब्जा अनवरत होने के साथ प्रतिवादीगण की पुर्ण जानकारी व बिना

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सहमति के होने के साथ खुले तौर पर प्रतिकुल कब्जा व पर्याप्तता व प्रतिकूल आश्य के साथ रहा है यानि हम उक्त [illegible] भूमि के वास्तविक स्वामी पिछले 200 वर्षो से रहे है तथा आज भी वास्तविक स्वामी [illegible] है केवल [illegible] रेकर्ड में नाम प्रतिवादीगण का दर्ज हुआ ऐसी स्थिति में हम [illegible] भूमि [illegible] पक्ष में घोषित करवाने के अधिकारी है। कि उक्त विवादग्रस्त [illegible] की खसरा गिरदावरी वर्ष 2013 से 2016 में हल्का पटवारी ने जब मौके पर जाकर की तो मौके पर हुकमा वल्द मुकना 1/3, काना, खुमा पि0 खिंयाराम 1/3 हिस्सा, वागा, भगवाना, इशरा पि. पना 1/3 हिस्सा काश्त कर रख था जिन्होने बाजरी व गवार दोनो की काश्त कर रखी थी खसरा गिरदावरी वि.स.2013 से 2016 की प्रमाणित प्रति सलग्न पेश है। वि.स. 2017 से 2020 तक भी उक्त दोनो खसरो में उपरोक्त वर्णित अनुसार काश्त ईन्द्राज है वर्ष 2020 से 2023 में भी उक्त खसरो में रामु पुत्र हुकमा, अर्जुन पुत्र ईशरा, काना पुत्र खिंया, भगवाना पुत्र पन्ना द्वारा बाजरी व गवार की काश्त खसरा गिरदावरी में अंकित है वर्ष 2024 से 2027 तक भी उपरोक्त अनुसार बदस्तुर काश्त जारी रही वि.स. 2028 से 2031 में भी हम द्वारा ही गिरदावरी करवायी गई परन्तु उसके बाद काश्तकारो के नाम लिखने बन्द कर दिये तथा केवल खातेदार का नाम ही अंकित किया जाने लगा। परन्तु कब्जा काश्त हमारा ही लगातार रहा उक्त खसरे में हमारे तीन हिस्से किये हुए है पश्चिम से प्रथम हिस्सा हुकमा पुत्र मुकना का जिसमें हुकमा के पुत्र रतना के वारीस का दो मंजिला भवन जिसका काम पिछले 20 वर्षो से लगातार चल रहा है जिसमें वर्तमान में बालुराम पुत्र नरसींगाराम निवास कर रहा है उसके बाद प्रभुराम का घर बना हुआ है प्रभुराम के बाद उदाराम पुत्र हुकमाराम का कृषि कुआ बना हुआ है जिस पर विधुत विभाग द्वारा कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा विधुत बेरे के पास किसनाराम पुत्र उदाराम का घर बना हुआ है तथा घरेलु कनेक्शन भी ले रखा है तथा इन सभी के नाम सरकारी टांके भी बने हुए है धना पुत्र हुकमा का भी टांका बना हुआ है। जिनका सरकार के कर्मचारी द्वारा जीओटेकिंग हो रखी है इसके बाद आगे खिंया का हिस्सा शुरू होता है जिसमें खुमाराम का घर व सदराम पुत्र काना का सरकारी टांका बना हुआ है तथा इसके बाद पना के हिस्से में मदा व तेजा का तीन पक्के घर प्रधानमंत्री आवास व सरकारी टांके बने हुए है इस प्रकार हमारे उक्त विवादग्रस्त आराजी में निरन्तर कब्जा प्रमाणित है। इसीलिए घोषणा के अधिकारी है। कि हम व प्रतिवादीगण के मध्य कभी भी कब्जे को लेकर विवाद नही होने तथा प्रतिवादीगण की जानकारी में हमारा कब्जा होना खसरा गिरदावरी व अनवरत रूप से किये जा रहे निर्माण से साबित है तथा उक्त खसरा संख्या 464 क्षेत्रफल 8.4336 हेक्टेयर व खसरा संख्या 468 जो वक्त सेटलमेंट 31–08 बीघा का था परन्तु 80 के दशक में खसरा संख्या 468 में सड़क निर्माण हेतु 8–05 बीघा को अवाप्त किया गया

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु बाद में सड़क दुसरी जगह निकल जाने से उक्त रकबे में हमारा ही कब्जा चला आ रहा है तथा खसरे के [illegible] अन्य भाग 468 रकबा 4 बीघा तथा 468/2 रकबा 19—03 बीघा के कायम हुए इस [illegible] की ईकाई में खसरा संख्या 468 क्षेत्रफल 0.6476 [illegible] 3.0999 हेक्टेयर जो प्रतिवादीगण के नाम है तथा खसरा संख्या [illegible] क्षेत्रफल 1.3355 हेक्टेयर जो गै.मु. सड़क के रूप में प्रतिवादी संख्या 16 के अधिनस्त निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है परन्तु चारो खसरे में कोई सडक नही होने से मौके पर हमारा कब्जा व काश्त होने से हम उक्त भूमि के वास्तविक मालिक होने से तथा प्रतिवादीगण के नाम भूलवश दर्ज होने से तथा विक्रम सवंत 2012 से 2080 तक कभी भी कब्जा प्राप्ति का वाद पेश नही करने से उक्त भूमि हम की प्रमाणित होने से हम अपने पक्ष में घोषित करवाने के अधिकारी है। कि उक्त विवादग्रस्त आराजी रूघा के नाम दर्ज होने के बाद रूघा हमारे को देना चाहता था परन्तु रूघा फौत होने पर धना व तुलसा के नाम दर्ज हो गई धना व तुलछा भी उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड हमारे नाम करवाना चाहते थे परन्तु इस दौरान धनाराम फौत हो जाने से उक्त कार्यवाही आगे नही बढ़ पाई आज से कुछ माह पुर्व तुलछाराम फौत होने से उनकी जगह 14 नये खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से कुछ खातेदार प्रलोभन में आकर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम का बेजा फायदा उठाकर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में किसी अजनबी व्यक्ति के नाम दर्ज करवाने पर उतारू हुए परन्तु भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण के पास नही होने से खरीददार तैयार नही हुए परन्तु प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के वचन को भूलकर कभी भी तृतिय पक्षकार को बैचान कर सकते है कानूनी रूप से कब्जे का हस्तानान्तरण नही होने से बैचान शुन्य होता है परन्तु अजनबी व्यक्ति के नाम खातेदारी होने से वाद में जटीलता बढ़ेगी तथा अजनबी केता नाम होने का बेजा इस्तेमाल कर हमारे शांति पुर्ण कब्जा काश्त में दखलअंदाजी कर सकते है तथा प्रतिवादीगण हमारे स्वामित्व की भूमि को त्रुटी पुर्ण नाम के आधार पर बैचाण कर देते है तो इस राजस्व ग्राम में भू प्रबंधन के अमिन की त्रुटी के कारण कई अन्य खेतो में भी राजस्व रेकर्ड व कब्जे में व वास्तविक मालिकाना हक में अंतर होने से पुरे गांव में सभी बैचाण पर उतारू होगे तथा भारी अशांति होगी तथा हमारे आश्रीत समुदाये के भवन कृषि बेरे व आजिविका पर भारी असर होगा जबकि उक्त आराजी में हमारे स्पष्ट कब्जा होने से तथा सेटलमेंट से 2035 तक खसरा गिरदावरी हमारे नाम होने से सुविधा का संतुलन प्रथम, दृष्टया मामला हमारे पक्ष में होने व हमारो अपुर्णिय क्षति होने से स्थायी निषेधाज्ञा बाबत मौका व रेकर्ड की यथास्थिति हेतु जारी किया जाना न्यायोचित होने से यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र पेश है। कि ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

खेत खसरा संख्या 464, 468, 468/2, 468/1 क्रमशः क्षेत्रफल 8.4336, 0.6475, 3.0999, 1.3355 हेक्टेयर में वादी संख्या 01 से 17 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 18 से 26 व 27 से 40 का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावें। कि वादग्रस्त खेतो मे इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि हमारे कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही की जावें तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी में भूल व त्रूटी से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के आधार पर किसी प्रकार का बैचाण रहन इत्यादि नही करे इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये डाक तलब किया गया प्रतिवादीगण की डाक रसीद व डिलीवर सूचना के अनुसार सम्यक तामील से अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई पत्रावली को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी के दौरान वादी बिंजाराम पीडब्लू 01, सुखराम, पीडब्लू 02, सुजानाराम पीडब्लू 03 के ब्यान करवाये गये वादी ने अपने वाद के समर्थन में पेश दस्तावेज जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, विधुत के बिल व फोटो ग्राफ प्रदर्शित करवाये गये वादी अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य नहीं पेश करने का कथन करने पर दोनों पक्षों की साक्ष्य को बन्द किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली को सिधे बहस में नियुक्त किया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता विस्तार पूर्वक सुनी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी द्वारा पेश खसरा गिरदावरी से वर्ष 2012 से 2023 तक जब वास्तविक कृषि करने वाले के नाम से की जाती थी उस दौरान वादीगण के पुर्वजो के नाम दर्ज है इससे वादीगण का सेटलमेंट से पहले का कब्जा प्रमाणित है तथा फोटो ग्राफ के अवलोकन से प्रमाणित है कि जीयोटेग से लिये गये फोटो उसी जगह पर कब्जा प्रमाणित किया जा रहा है तथा इन खसरो में घर बने हुए है साथ ही राजस्व मण्डल के स्पष्ट निर्देश है कि गलत सेटलमेंट को वास्तविक के अनुसार घोषित किया जाना विधि समत है साथ ही विधिक रूप से तामिल के बावजुद प्रतिवादीगण द्वारा पेरवी में घोषणा जैसे वाद में निष्क्रयता साबित करता है कि इस भूमि से कोई लेना देना प्रतिवादीगण का नही है केवल त्रुटि से इनके नाम दर्ज हुई है तथा गवाह द्वारा भी उक्त सभी तथ्यों को ताईद किया है इसीलिए वाद पुर्ण रूप से प्रमाणित है। स्वतन्त्र साक्षी सुजानाराम ने भी वाद का पुर्ण रूप से समर्थन करते हुए बताया कि केवल मात्र अ[illegible]झने की भूल से खसरा संख्या 464 व 468 प्रतिवादीगण के पिता [illegible] के नाम [illegible] गया इसीलिए उक्त खसरो को वादीगण के पक्ष में घोषित [illegible] उक्त भूमि में किसी भी प्रकार की सड़क वगैरा नही होना सभी गवाह व सेटेलाई[illegible]क्शे से प्रमाणित है इसीलिए मुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 468 व 464 का सम्पुर्ण रकबा वादीगण के पक्ष में घोषित किया जाना न्याय संगत है इसीलिए वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 464, 468, 468/2, 468/1 क्रमशः क्षेत्रफल 8.4336, 0.6475, 3.0999, 1.3355 हेक्टेयर में वादी संख्या 01 से 17 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 18 से 26 व 27 से 40 का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा उक्त खेतों में वादीगण का नाम घोषित करने हेतु अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है। तथा उक्त आराजी में किसी भी प्रकार की प्रतिवादीगण द्वारा दखलअंदाजी नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

–: : आदेश : :–

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि कर ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 464, 468, 468/2, 468/1 क्रमशः क्षेत्रफल 8.4336, 0.6475, 3.0999, 1.3355 हेक्टेयर में वादीगण संख्या 01 से 17 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 18 से 26 व 27 से 40 का 1/3–1/3 हिस्सा में खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा आज से पुर्व के अवैधानिक अन्तरण निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण की खातेदारी निरस्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादीगण का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। अंतिम डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा.मि. हो। तहसीलदार धोरीमन्ना को अंतिम डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय डिक्री सोनाराम वगैरा बनाम पीराराम वगैरा

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास:— श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण

01. सोनाराम पुत्र रामूराम उम्र 85 वर्ष
02. लालाराम पुत्र रामूराम फौत के कायम मुकाम
    2/1.आसुराम पुत्र लालाराम उम्र 55 वर्ष
    2/2.राजुराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष
    2/3.लाधुराम पुत्र लालाराम उम्र 40 वर्ष
    2/4.हीरो देवी पत्नि लालाराम उम्र 75 वर्ष
03. भारताराम पुत्र रामूराम उम्र 80 वर्ष
04. ओम प्रकाश पुत्र शेराराम उम्र 45 वर्ष
05. पांचाराम पुत्र शेराराम उम्र 40 वर्ष
06. मंगलाराम पुत्र रामूराम उम्र 70 वर्ष
07. भाखरा राम पुत्र रामूराम उम्र 66 वर्ष
08. बींजाराम पुत्र रामूराम उम्र 58 वर्ष
09. जगराम पुत्र धनाराम उम्र 58 वर्ष
10. पेमाराम पुत्र धनाराम उम्र 52 वर्ष
11. गोपालराम पुत्र धनाराम उम्र 48 वर्ष
12. नरसींगाराम पुत्र रतनाराम उम्र 64 वर्ष
13. प्रभूराम पुत्र रतनाराम उम्र 64 वर्ष
14. किसनाराम पुत्र उदाराम उम्र 55 वर्ष
15. हीराराम पुत्र उदाराम उम्र 50 वर्ष
16. नारणाराम पुत्र उदाराम उम्र 45 वर्ष
17. भजनलाल पुत्र उदाराम उम्र 42 वर्ष
18. सुखराम पुत्र खुमाराम उम्र 65 वर्ष
19. भारमलराम पुत्र खुमाराम उम्र 60 वर्ष
20. सदराम पुत्र कानाराम उम्र 75 वर्ष
21. सुखराम पुत्र कानाराम फोत के का. मु.
    21/1. आसुराम पुत्र सुखराम
22. ठाकराराम पुत्र भेरा राम उम्र 60 वर्ष
23. मंगलाराम पुत्र भेराराम उम्र 53 वर्ष
24. शेराराम पुत्र भेराराम उम्र 50 वर्ष
25. किसनारम पुत्र भेराराम उम्र 45 वर्ष
26. धोकलाराम पुत्र भेराराम उम्र 42 वर्ष
27. गोगाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 50 वर्ष
28. मोहन पुत्र अर्जुनराम उम्र 45 वर्ष
29. जेठाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 38 वर्ष
30. मदाराम पुत्र ईशराराम उम्र 85 वर्ष
31. तेजाराम पुत्र ईशराराम उम्र 85 वर्ष
32. गोकलाराम पुत्र सांवताराम उम्र 75 वर्ष
33. राणाराम पुत्र जगराम उम्र 35 वर्ष
34. सत्यपाल पुत्र जगराम उम्र 30 वर्ष
35. गणपत पुत्र हरचन्द राम उम्र 37 वर्ष
36. रमेश कुमार पुत्र हरचन्द राम उम्र 33 वर्ष
37. धुड़ाराम पुत्र वागाराम उम्र 50 वर्ष
38. विरधाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 72 वर्ष
39. रामलाल पुत्र भगवानाराम उम्र 65 वर्ष

केसरीमल पुत्र भगवानाराम उम्र 60 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला

बनाम

प्रतिवादीगण

01. पीराराम पुत्र धनाराम उम्र 50 वर्ष
02. पुनमाराम पुत्र तुलछाराम
03. रामचन्द पुत्र तुलछाराम
04. भाखराराम पुत्र तुलछाराम
05. सोनाराम पुत्र तुलछाराम
06. सीणगारी पुत्री तुलछाराम
07. हीरा पुत्री तुलछाराम
08. शान्ती पुत्री तुलछाराम
09. जीयो पुत्री तुलछाराम
10. श्रीराम पुत्र धर्माराम
11. राजूराम पुत्र धर्माराम
12. हीराराम पुत्र धर्माराम
13. एलची पुत्री धर्माराम
14. मोहनी पुत्री धर्माराम
15. पुनी पत्नी धर्माराम उम्र 70 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
16. तहसीलदार धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या :– 40/2023

दावा बाबत्– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रु–ब–रु पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 464, 468, 468/2, 468/1 क्रमश: क्षेत्रफल 8.4336, 0.6475, 3.0999, 1.3355 हेक्टेयर में वादी संख्या 01 से 17 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 18 से 26 व 27 से 40 का 1/3–1/3 हिस्सा में खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा आज से पुर्व के अवैधानिक अन्तरण निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण की खातेदारी निरस्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादीगण का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें ।

नीज........................मुबलिक................................बाबत्...................खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.09.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner